CIRCULAR NO -2021026

पत्र संख्या–आई0टी0– EIMS Module / 2020–21 / 669 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0–अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः 05 नवम्बर ,2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी विवरणों के लिये Employee Information Sharing System (EIMS) पूर्व से क्रियाशील हैं जिसमें समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण, Posting विवरण, ACR सम्बंधी विवरण ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सुविधा के लिये Employee Information Sharing System (EIMS) से सम्बंधित प्रतिबिम्ब Application भी उपलब्ध कराया गया है।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सुविधा हेतु इस क्रम में EIMS के लॉगिन में Online Application तथा Online Grievance से सम्बंधित दो विकल्प menu में उपलब्ध करा दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा से सम्बंधित आवेदनों को Online Application के Link पर Click करके प्रेषित किया जा सकता है। Online Application पर Click करके अधिकारी द्वारा सम्बंधित आवेदन का विषय अंकित करते हुए Type of Application के Drop down में इस आवेदन के प्रकार का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात पत्र संख्या तथा दिनांक को अंकित कर समस्त साक्ष्यों सहित पत्र को अपलोड किया जायेगा। सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर कार्यालय का चयन Drop down से किया जायेगा। यदि अधिकारी को अग्रिम प्रति मुख्यालय अथवा किसी अन्य कार्यालयों में प्रेषित करनी है तो Advance copy to Zone/ Head Quarter के Drop down से सम्बंधित जोन अथवा Head Quarter का चयन कर सम्बंधित अनुभाग का चयन किया जायेगा। उसके पश्चात पत्र की PDF File अपलोड करते हुए तथा कोई अधिकारी टिप्पणी अंकित करना चाहता है तो Remark के Field में टिप्पणी अंकित की जा सकती है। अधिकारियों द्वारा अपलोड की गयी Online Application Drop down चयनित कार्यालयों से सम्बंधित अधिकारियों के Information Sharing System के लॉगिन सिस्टम पर उपलब्ध होगी। जोनल एडीशनल कमिश्नर के Information Sharing System Login पर ऐसे समस्त उपलब्ध आवेदनों पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं व नियमों के आधार पर जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। उन पर समस्त अग्रिम कार्यवाही Information Sharing System के सम्बंध में निर्गत परिपत्र संख्या–आई0टी0 / ISS / 2020–21 / 2021011 / 325 दिनांक 14.08.2020 के क्रम में सम्पादित की जायेगी।

अधिकारी अपने आवेदन से सम्बंधित Grievance को भी Online Grievance विकल्प से अंकित कर सकते हैं। इस प्रकार अंकित समस्त Online Grievance कमिश्नर, वाणिज्य कर के Information Sharing System के लॉगिन पर उपलब्ध होंगी जिसका अनुश्रवण Information Sharing System के माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्देशों को अपने अधिकारियों में प्रचार–प्रसार करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।